(वाद संख्या–961/17)

04.09.2019

आज की तिथि की जानकारी के बावजूद परिवादी श्री राजेश कुमार, अनुपस्थित हैं।

दिनांक–02.05.2019 के आदेश के आलोक में सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना–1 के सचिव, श्री अमिताभ राय व सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट के 'बी0 ब्लौक' के फ्लैट नं0–302 के निवासी, श्री सचिन कुमार सिंह, उपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला उपरोक्त कथित सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट के फ्लैटों के दो निवासियों (परिवादी व सचिन कुमार सिंह) के बीच विवाद से संबंधित है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट के सचिव, श्री अमिताभ राय, का कथन है कि अब परिवादी व फ्लैट नं0–302 में निवास करने वाले श्री सचिन कुमार सिंह के बीच विवाद समाप्त हो चुका है। उपरोक्त कथन का समर्थन श्री सचिन कुमार सिंह द्वारा भी आयोग के समक्ष किया गया। चूंकि परिवादी उपस्थित नहीं है, अतः उक्त के संबंध में परिवादी को नहीं सुना जा सका।

श्री सचिन कुमार सिंह की ओर से आयोग को सूचित किया कि परिवाद–पत्र में उल्लिखित दिनांक–15.12.2016 की घटना को लेकर उनकी ओर से थानाध्यक्ष, बुद्धाकॉलनी थाना को उनके द्वारा दिनांक–22.12.2016 को सूचित कर दिया गया था तथा उसी दिन बुद्धाकॉलनी के थाना प्रभारी की उपस्थिति व श्री अमिताभ राय के प्रयास से उनके व परिवादी के बीच हुए मामूली विवाद में सुलह करा दिया गया। बाद में परिवादी द्वारा दुराशयपूर्ण भावना से प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र आयोग में दाखिल कर दिया गया।

अब, जबकि सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट के सचिव, द्वारा आयोग को मौखिक रूप से सूचित कर दिया गया है कि प्रसंगाधीन मामले में दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी गयी है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद को बंद किया जाता है।

सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना–1 के सचिव, श्री अमिताभ राय व सूर्या महालक्ष्मी अपार्टमेंट के 'बी0 ब्लौक' के फ्लैट नं0–302 के निवासी, श्री सचिन कुमार सिंह की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है।

आज पारित आदेश के संबंध में परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक